।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सौठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत जाजोर

राजस्व अपील सं० 5 / 03 / 2021 तारीख रज्जू: 21.01.2021

01– गुड्डो पुत्री मंगल पत्नि श्री फजरू जाति मेव निवासी चिकानी हाल निवारी ग्राम टोहरी तहसील किशनगढबास जिला अलवर

–अपीलाण्ट

बनाम

01– ग्राम पंचायत चिकानी पंचायत समिति किशनगढबास जिला अलवर जरिये सरपंच –असल रेस्पोडेण्टान

02– काले खां

03– साहब खां

04– यासीन खां

05– रहीम खां पुत्रान मंगल

06– गरीबी

07– जन्नी

08– आसीनी पुत्रीयान मंगल

जातियान मेव निवासीयान ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर

–तरतीबी रेस्पोडेण्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 19.12.2009 ग्राम पंचायत चिकानी

–: निर्णय :– दिनांक: 14.12.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत चिकानी तहसील व जिला अलवर के निर्णय दिनांक 19.12.2009 इंतकाल संख्या 1065 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलाण्ट की आराजी ग्राम चिकानी तहसील अलवर में स्थित है। आराजी खाता संख्या 235 खसरा नम्बरान 344 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

0.22 है०, 364 रकबा 0.33 है०, 365 रकबा 0.34 है०, 401 रकबा 0.31 है०, 429 रकबा 0.20 है० कुल किता 5 रकबा 1.40 है० आराजी खाता संख्या 365 खसरा नम्बरान 395 रकबा 0.69 है०, 396 रकबा 0.30 है०, 397 रकबा 0.40 है०, 888 रकबा 0.67 है०, 890 रकबा 0.40 है० कुल किता 5 रकबा 2.46 है० वाके ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी मंगल पुत्र धम्माली जाति मेव निवासी ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर की कब्जे काश्त की आराजी थी। मंगल का स्वर्गवास हो चुका है। जिसका विरासत इंतकाल संख्या 1065 उसके वारिसान के नाम खोला गया। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेट 2 लगा० 8 मंगल के वारिसान है। विरासत इंतकाल में सहवन से अपीलाण्टा का नाम रहमती दर्ज कर दिया गया है। जिसकी जानकारी अपीलाण्टा को पूर्व में नही थी। अब राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर उक्त त्रुटि के बारे में जानकारी हुई कि इंतकाल संख्या 1065 दिनांक 19.12.2009 में अपीलाण्टा का नाम गुड्डो के स्थान पर रहमती दर्ज कर दिया गया है। अपीलाण्टा ने 19.12.2020 को नकल प्राप्त की एवं उक्त आदेश ग्राम पंचायत चिकानी के विरूद्ध अपील पेश की एवं जो समय अपील करने में निकला है वो जानकारी के अभाव में निकला है जिसके लिए अपीलाण्टा ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त अवधि को कन्डोन करने का निवेदन किया है। अपीलाण्टा ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत ने अपीलाण्टा को बिना सुने व बिना बुलाये निर्णय पारित किया है, सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नही दिया है। अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत चिकानी का निर्णय दिनांक 19.12.2009 को अपास्त करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टान को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से श्री प्रकाश चन्द सागर, एडवोकेट ने अपनी अण्डरटेकिंग पेश की। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प चिकानी में सरपंच, ग्राम पंचायत चिकानी को अपील की नकल दी गई एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। सरपंच ग्राम पंचायत चिकानी द्वारा रहमती पुत्री मंगल निवासी चिकानी एवं गुड्डो पत्नी फजरू ग्राम टोहरी मिरका तहसील किशनगढबास एक ही व्यक्ति का नाम होने का प्रमाणपत्र पेश किया एवं गुड्डो पुत्री मंगल पत्नी फजरू का भामाशाह कार्ड संख्या 1067–जी5एक्स7–19014 की फोटोप्रति पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

रेस्पोडेन्ट संख्या–05 रहीम खां उपस्थित जिसके आदेशिका पर हस्ताक्षर कराये गये। पहचान के लिए आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम पंचायत जाजोर में पेश हुई। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रमाणित प्रति इंतकाल संख्या 1065 एवं जमाबन्दी सम्वत 2064–2067, 2072–2074 एवं शपथ पत्र गुड्डो पुत्री मंगल पत्नी फजरू, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड गुड्डो तथा सरपंच ग्राम पंचायत चिकानी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत चिकानी के निर्णय दिनांक 19.12.2009 अपास्त किया जाता है। नायब तहसीलदार बहादरपुर को उक्त इंतकाल प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वारिसान की जांच कर एवं अपीलाण्टा के नाम की जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत जाजोर में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोडवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)